



Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय  
आर आर 258/महत्वपूर्ण

सेवा नं.

1. महाधिवक्ता, हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
2. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, छठी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, कमरा नं0 529, पांचवी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़।
5. महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, एस.सी.ओ. 71-75, सैक्टर-17, चण्डीगढ़।
6. चैयरमेन, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सैक्टर-6, पंचकुला।
7. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, पंचायत भवन, प्लॉट 3/सैक्टर 28A चण्डीगढ़।
8. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, 30 बेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर-17, चण्डीगढ़।
9. पी0सी0सी0एफ0, वन विभाग, सी-11, वन भवन/6, पंचकुला।
10. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकुला।
11. महानिदेशक, बागवानी विभाग, सेरीकल्चर काम्प्लैक्स, सैक्टर-21,
12. राज्य के सभी राजस्व अधिकारी।
13. राज्य के सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी।
14. राज्य के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी0डी0पी0ओ0)।
15. श्री लाल सिंह, प्रधान हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन ऑनर ऐंशोसिएशन, मकान नं0 145, सैक्टर-14, सोनीपत।
16. राज्य के सभी जिला भटठा ऑनर ऐंशोसिएशन को जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों के माध्यम से।

यादि क्रमांक-2बी.के.7/15/2016/

27448

दिनांक चण्डीगढ़

21-12-2016

विषय:-

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (Right to Service Act, 2014) के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा ईट भट्टे का लाईसैंस जारी करने की सेवाओं को अधिसूचित करने बारे।

उपरोक्त विषय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के पत्र क्रमांक नं0 7/31/2014-3AR दिनांक 16.12.2016 के संदर्भ में।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग ने अपने संदर्भाधीन पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की भटठा लाईसैंस जारी करने की सेवाओं को "हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014" ("Right to Service Act, 2014") के तहत अधिसूचित करते हुये अधिसूचना क्रमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 जारी की है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ईट भटठा लाईसैंस जारी करने की सेवाओं को समयबद्ध करने हेतु "हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014" ("Right to Service Act, 2014") संशोधित अधिसूचना 7/31/2014-3AR दिनांक 15.02.2016 में-



Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय

२-

कम संख्या 128 के बाद खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 पर अधिसूचित करते हुये अधिसूचना क्रमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 जारी की है। इस अधिसूचना के तहत ईट भट्टे के लिये प्रस्तावित भट्टे स्थल की दूरियों संबंधी पैमाइश के लिये टीम का गठन करने, पैमाइश रिपोर्ट देने, ईट भट्टे के निर्माण की अनुमति प्रदान करने तथा ईट बनाने व बेचने के लिये ईट भट्टे का लाईसैस जारी करने की सेवाओं को समयबद्ध करने के लिये अधिसूचित किया है। अतः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग के पत्र क्रमांक न० 7/31/2014-3AR दिनांक 16.12.2016 तथा अधिसूचना क्रमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 को खाद्य एवं पूर्ति विभाग की वेबसाईट "Haryanafood.gov.in" पर ब्रिक किलन शाखा के पेज पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्त विभागों के सचिव/विभागाध्यक्षों तथा ईट भट्टे के अन्य सभी पक्षकारों (Stackholders) से विनम्र अनुरोध है कि जिला स्तर पर स्थित अपने कार्यालयों को सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना क्रमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 में ईट भट्टे के लाईसैस संबंधी सेवाओं के बारे किये गये प्रावधान के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही करने के लिये दिशानिर्देश जारी करने का कष्ट करें।

उप-निदेशक (ब्रिक किलन),

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक-2बी के 7/15/2016/ 27449

दिनांक: 27-12-2016

राज्य के सभी जिलाधीशों (ईट भट्टा लाईसैसिंग अथॉर्टी) तथा जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के नियंत्रकों को अनुरोध किया जाता है कि "हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014" के तहत अधिसूचना क्रमांक 7/31/2014-3AR दिनांक 02.12.2016 (विभाग की वेबसाईट "Haryanafood.gov.in" के ब्रिक किलन के पेज पर अपलोड है) में ईट भट्टों के लाईसैस के बारे किये गये प्रावधान के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उप-निदेशक (ब्रिक किलन),

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक-2बी के 7/15/2016/ 27450

दिनांक: 27-12-2016

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

- 1-प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा (माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सूचना के लिए)
- 2-वरिष्ठ सचिव/खाद्य मंत्री हरियाणा सरकार (माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री महोदय की सूचना के लिए)
- 3-निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता मामले महोदय की सूचना के लिए)
- 4-निजी सचिव/निदेशक खाद्य महोदय (निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले महोदय की सूचना के लिए)

उप-निदेशक (ब्रिक किलन),

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

Brick No. 1849  
Diary No. 2/12/16  
Dated 2/12/16

No. 7/31/2014-3AR  
Government of Haryana  
Chief Secretary's office,  
Administrative Reforms Department.

C + W  
O/o ACSFS  
No. 15949  
Date 19-12-2016  
Dated Chandigarh the, 16<sup>th</sup> Dec, 2016

To

1. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana and Financial Commissioner, Revenue and Disaster Management Department, Chandigarh.
2. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana PWD (B&R) Department, Chandigarh.
3. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Food and Supplies Department, Chandigarh.
4. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, HUDA, Chandigarh.
5. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Labour Department, Chandigarh.
6. The Principal Secretary to Govt. Haryana, Power Department, Chandigarh.
7. The Principal Secretary to Govt. Haryana, Mines and Geology Department, Chandigarh.

**Subject:- Notifying service under Haryana Right to Service Act, 2014.**

Sir/Madam,

I am directed to address you on the subject noted above and to send herewith a copy of Notification No.7/31/2014-3AR dated, 02.12.2016 (Hindi and English version) vide which your Department services have been notified under Haryana Right to Service Act, 2014 for your information and necessary action.

*[Signature]*  
Research Officer  
Research Unit, AR Department

Enclst. No. 7/31/2014-3AR

Dated Chandigarh the, 16.12.2016

A copy with its enclosure is forwarded to the Secretary Haryana Right to Service Commission SCO 39-40, 2<sup>nd</sup> floor, Sector 17A, Chandigarh for information and necessary action.

Research Officer  
Research Unit, AR Department

*[Signature]*  
20/12/16

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

21/12/2016

*[Signature]*



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 2, 2016 (AGRAHAYANA 11 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 दिसम्बर, 2016

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014-15-4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोम द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में,-

(1) क्रम संख्या 20 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
20 क	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	जलसा/ जनसभा/ जलूस/ शोभा यात्रा/ छठ पूजा/ विवाह हेतु उपबंध (केवल एस०पी०, एस० डी० एम०, एम०सी० फायर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	
20 ख	राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग	फनफेयर/सर्कस/मैजिक शो हेतु अनुमति (केवल एस० पी०, एस० डी० एम०, एम० सी० फायर तथा आबकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दशा में लागू)	5 दिन	जिलाधीश/ उपायुक्त	मण्डल आयुक्त	

Price : Rs. 5.00

(6155)

(2) क्रम संख्या 63 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7
63 क	"विद्युत विभाग	33 के०वी० से ऊपर के मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विद्युत संस्थापन का प्रमाणीकरण	30 दिन	संबंधित कार्यकारी अभियंता	मुख्य विद्युत निरीक्षक	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, विद्युत"।

(3) क्रम संख्या 128 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"128 क	खाद्य तथा पूर्ति विभाग	(i) दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश के लिए टीम का गठन राजस्व विभाग के सम्बंधित हल्का पटवारी/ कानूनगो तथा नायब तहसीलदार/ तहसीलदार तथा खाद्य तथा पूर्ति विभाग (सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो) हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के दृष्टिगत प्रस्तावित ईन्ट भट्ठा स्थल की पैमाइश हेतु संयुक्त टीम गठित करना	4 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(ii) दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश की रिपोर्ट टीम दूरियों संबंधी पैरामीटर की पैमाइश आवेदक या आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पैमाइश करेगी तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	15 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(iii) ईन्ट भट्ठे के निर्माण की अनुमति हरियाणा-प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश 1972 के प्रारूप क के खण्ड 3 के अधीन ईन्ट भट्ठे (चिमनी तथा गेड) के निर्माण के लिए स्वीकृति/समशोधन, यदि दूरी पैरामीटर की शर्तें हरियाणा ईन्ट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 के खण्ड 4(iii) के प्रावधानों के अनुसार पाई जायेगी। आवेदक को सूचित किया जायेगा यदि दूरी पैरामीटर नियंत्रण आदेश के अनुसार नहीं पाई जायेगी।	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग।
		(iv) ईंट बनाने व बेचने के लिये ईंट भट्ठे का लाईसेंस जारी करना आवेदक/ईन्ट भट्ठा स्वामी केवल खान तथा भू-विज्ञान विभाग से परमिट, हरियाणा प्रदुषण बोर्ड से सहमति तथा जिला नगर योजनाकार से नियंत्रित क्षेत्र का लाईसेंस, यदि ईन्ट भट्ठा का स्थल नियंत्रित क्षेत्र में आता है, प्राप्त करने के बाद अपना ईन्ट भट्ठा संचालित करेगा। अन्यथा जिला नगर योजनाकार/नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र।	7 दिन	सम्बन्धित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	जिलाधीश	महानिदेशक/ निदेशक, खाद्य तथा पूर्ति विभाग"।

HARYANA GOVERNMENT  
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 2nd December, 2016

No. 7/31/2014-3AR; - In exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated 15.02.2016, in Schedule,-

(1) after serial number 20, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"20 A	Revenue & Disaster Management Department	Provision for Jalsa/Public Meeting/Jaloos/Shobha Yatra/Chhath Puja/ Marriage (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, MC Fire)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 B	Revenue & Disaster Management Department	Permission for Funfair/Circus/ Magic Show (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, MC Fire, Excise Deptt.)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 C	Revenue & Disaster Management Department	Permission for Tournaments/ Games (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., SDM, Sports Officer)	5 days	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	
20 D	Revenue & Disaster Management Department	Loudspeakers/DJ Permission for Jalsa/Public Meeting / Jaloos/ Shobha Yatra/ Chhath Puja/Marriage (Applicable only in case of obtaining of NOCs from local S.H.O.)	3 days	Sub Divisional Magistrate	Deputy Commissioner	Divisional Commissioner

20 K	Revenue & Disaster Management Department	Permission of Loudspeaker on Vehicle during Parliamentary Election Campaign. (Applicable only in case of obtaining of NOCs from S.P., S.D.M..)	As per direction of Election Commission	Distt. Magistrate/ Deputy Commissioner	Divisional Commissioner	Chief Electoral Officer, Haryana"
------	--	---	---	--	-------------------------	-----------------------------------

(2) after serial number 63, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"63 A	Power Department	Certification of Electrical Installation by Chief Electrical Inspector above 33KV	30 days	Concerned Executive Engineer	Chief Electrical Inspector	Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary, Power"

(3) after serial number 128, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"128 A	Food & Supplies Department	(i) <b>Constitute a team for measurement of distance parameters</b> To constitute a joint team of concerned Halqa Patwari/ Kanoongo and Nayab Tehsildar/ Tehsildar of the Revenue Deptt. and Food & Supplies Deptt. (Nor below than AFSO rank) for measurement of the purposed brick kiln site in view of the clause 4 (iii) of the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972.	4 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department
		(ii) <b>Measurement Report of distance parameters</b> Team will measurement the distance parameters in the presence of the applicant or the authorized representative of the applicant and submit his report.	15 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department
		(iii) <b>Approval for construction of Brick Kiln</b> Approval/ Clearance for construction of Brick Kiln (Chimney & Vessel) under clause 3A of Form 'A' of the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972 according to the guidelines of the Haryana Pollution Control Board. If the conditions of the distance parameters will be found as per provisions of the Control	7 days	Concerned District Food & Supplies Controller	District Magistrate	Director General/ Director Food & Supplies Department

202	PWD (B&R)	(a) Clearance for entry/ exit from State Highway/ Scheduled Road under MORT&H Guidelines	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief
		(b) Permission for laying of Natural Gas/ Pipelines ROU	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief
		(c) Permission for Right of use (RoU) for laying the Communication Infrastructure & associated installation like Optical Fiber Cable	60 days	Concerned SE	Chief Engineer (Concerned)	Engineer- in-Chief".

D.S. DHESI,  
Chief Secretary to Government of Haryana.